

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार) (MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVT. OF INDIA) क्षेत्रीय कार्यालय/ Regional Office

प्लाट क्र 02 अविष्य निधि अवन, टाउन सेंटर, व्यावसायिक क्षेत्र, सिडको, औरंगाबाद - 431029

Plot No. 2, Bhavishya Nidhi Bhavan, Town Centre, Commercial Area, CIDCO, Aurangabad – 431 029 ईमेल द्वारा

क्र महा/भिन/औ'बाद/मासप्र/रखपाल/2018/ 283

दिनांक 08/03/2018

डाटा एन्टी आपरेटर प्रदाय करने के लिए निविदा आमंत्रण

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, औरंगाबाद, में अन्बंध की तिथि से एक वर्ष के लिए 03 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिष्ठित, अनुभवी तथा वित्तिय रूप से सक्षम मानव संसाधन कंपनियों/फर्मी/एजेसिंयों से दो बोली प्रणाली अर्थात तकनीकी बोली तथा वित्तिय बोली के अंतर्गत म्हरबंद बोलीएं आमंत्रित की जाती है।

- 1. समय सूची -
 - ।) निविदा को अपलोड करने की तिथि

- 09/03/2018
- ।।) बोली जमा करने की अंतिम तिथि एंव समय
- 23/03/2018 को सांय 03:00 बजे तक
- ।।।) तकनीकी एंव वितिय बोली खोलने के लिए तिथि एंव समय 26/03/2018 को सांय 04:00 बजे तक

VI) बोली खोलने का स्थान

- क.भ.नि.स., क्षेत्रीय कार्यालय, औरंगबाद
- 2. बोली दस्तावेज ईपीएफओ की वेबसाईट www.epfindia.gov.in से डाउनलोड किए जाने चाहिए।
- 3. इच्छ्क एंव पात्र कंपनी/फर्म/एजेंसी भली-भांति पूर्ण बोली दस्तावेज को अन्य वांछित दस्तावेजो के साथ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट/भ्गतान आदेश द्वारा रू 50,000/- (रू.पचास हजार केवल) की बयाना राशि (ई.एम.डी) सिहत क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, भविष्य निधि भवन, प्लाट क्र 02 सिडको टाउन सेंटर क्षेत्रीय कार्यालय, औरंगबाद 431029 में आवक अनुभाग में दिनांक 23/03/2018 को अपरान्ह 03:00 बजे तक जमा कर सकते है। डिमांड ड्राफ्ट/पेआर्डर के रूप में बोली दस्तावेज की कीमत/बयाना राशि, के बिना जमा किए गए बोली दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा। इस तिथि के उपरांत किसी भी परिस्थिति में बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 4. इस कार्यालय को यह अधिकार है कि वह बोली दस्तावेजों मे दिए गए किसी भी नियम एंव शर्त में संशोधन कर/वापस ले सकता है अथवा बिना कोई नोटिस दिए अथवा कारण बताए किसी या सभी बोलियों को अस्वीकार कर सकता है। इस संबंध में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय, औरंगाबाद का निर्णय अंतिम होगा बाध्यकारी होगा।

सहायक भविष्य निधि आयुक्त (मासप्र) क्षेत्रीय कार्यालय, औरंगाबाद

सरज डि पाटील

- 1. कार्यक्षेत्र एंव बोली हेतु सामान्य अनुदेश
- 1) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, औरंगाबाद, भविष्य निधि भवन, प्लाट क्र 02 सिडको टाउन सेंटर क्षेत्रीय कार्यालय, औरंगाबाद 431029 को डाटाएंट्री ऑपरेटर को दिए गए कार्यों को करने के लिए प्रतिष्ठित, स्थापित एंव वितिय रूप से सक्षम मानव संसाधन कंपनी /फर्म/एजेंसी की सेवाओं की आवश्यकता है।
- 11) अनुबंध 01/04/2018 से आरंभ होगा तथा मार्च 2019 तक जारी रहेगा। अनुबंध पूर्ण होने के पश्चात् अनुबंध की अविधि उन्हीं नियम एवं शर्तों पर बढ़ाई जा सकती है बशर्ते उस समय विभाग को अपने मानव संसाधन में वृद्धि की आवश्यकता हो अथवा अनुबंध अविधि के समाप्त होने से पूर्व ही सेवा में कमी के कारण कम किए जाए/ रद्द किया जाय अथवा इस कार्यालय में नियमित मानव संसाधन के प्रवेश के कारण इसे कम /समाप्त किया जा सकता है। यद्यिप, कार्यालय बिना कोई कारण बताए चयनित सेवा प्रदाता कंपनी/फर्म/एजेंसी को एक सप्ताह का नोटिस देते हुए किसी भी समय इस आरंभिक अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार स्रिक्षित रखता है।
- ।।।) डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अनिवार्य योग्यताएं :
 - आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए ।
 - डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता : उच्च माध्यमिक शिक्षा (10+2) कम्प्यूटर में दक्षता सहित हिंदी एंव अंग्रेजी का कार्यसाधक ज्ञान।
 - डाटा (प्रविष्ट) कार्य स्पीड कम से कम 8000 की डिप्रेशन अंग्रेजी में अथवा 5000 की डिप्रेशन हिंदी में प्रति घंटा होनी चाहिए।
 - एम.एस.एक्सेल/एम.एस ऑफिस, एम.एस.पावर पाईंट में डाटा प्रविष्टि का ज्ञान होना चाहिए।
- IV) कार्य की प्रकृति में डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा सामान्यतः किए जाने वाले सभी कार्य तथा उन्हें सौंपे गए अन्य कार्यों का निष्पादन सम्मिलित है। कार्यों की झलक सांकेतिक है संपूर्ण नहीं है।
- v) इच्छुक कंपनी /फर्म/एजेंसी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-। के पक्ष में रु. 50,000/- (रू. पचास हजार केवल) की बयाना राशि (ई.एम.डी.) सहित तथा अन्य वांछित दस्तावेजों सहित बोली दस्तावेज को पूर्णतः भरकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, भविष्य निधि भवन, प्लाट क्र 02 सिडको टाउन सेंटर क्षेत्रीय कार्यालय, औरंगाबाद 431029 में आवक अनुभाग में दिनांक 23/03/2018 को अपरान्ह 03:00 बजे तक जमा कर सकते है।
- VI) बोलीयां दो बोली प्रणाली अर्थात तकनीकी बोली तथा वितिय बोली के अंतर्गत आमंत्रित की गई है। इच्छुक एजेंसियों को दो अलग लिफाफों जिन पर मोटे अक्षरों में "कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, औरंगाबाद को डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को सौंपे गए कार्यों के निष्पादन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध करवाने हेतु तकनीकी बोली" तथा "कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय, औरंगाबाद में डाटा एन्ट्री आपरेटर को सौंपे गए कार्यों के निष्पादन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध करवाने हेतु वितिय बोली" लिखा हो, प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है। दोनो मुहरबंद लिफाफो को तीसरे मुहरबंद लिफाफे में जिस पर "कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय भविष्य निधि भवन प्लाट क्र.02 टाउन सेंटर सिडको औरंगाबाद 431029 में डाटा एंट्री आपरेटर को सौंपे गए कार्यों के निष्पादन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध करवाने हेतु बोली" लिखा हो रखा जाना चाहिए।
- VII) एजेंसी की तकनीकी बोली के साथ किसी भी व्यवसायिक बैंक से क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1, क्षेत्रीय कार्यालय, औरंगाबाद के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट /भुगतान आदेश जो कि 90 दिनों की अविध हेतु वैध हो, के रूप में वापसी योग्य (बिना ब्याज) रू. 50,000/- (रू. पचास हजार केवल) की बयाना राशि जमा (ई.एम.डी) अवश्य संलग्न की जानी चाहिए। समुचित वैधता सहित वांछित राशि की बयाना राशि साथ न रहने वाले ऑफर को निरस्त कर दिया जाएगा।

VIII) बोली प्रस्तुत करने वाली कंपनी/फर्म/एजेंसी को निम्नलिखित दस्तावेजों को स्वसत्यापन के साथ राजपत्रित अधिकारियों द्वारा भली-भांति सत्यापित, छाया प्रतियाँ तकनीकी बोली के साथ संलग्न करनी होगी, ऐसा न करने पर उनकी बोली को सरसरी तौर पर/पूर्णतया अस्वीकार कर दिया जाएगा व आगे विचार नहीं किया जाएगा ।

पैन/टैन/जीआईआर क्र (सत्यापित प्रति संलग्न करें)
सेवा कर पंजीकरण सं (सत्यापित प्रति संलग्न करें)
क.भ.नि. पंजीकरण सं (सत्यापित प्रति संलग्न करें)
कर्मचारी राज्य बीमा निगम पंजीकरण सं (सत्यापित प्रति संलग्न करें)
बोलीकर्ता कंपंनी /फर्म/एजेंसी के सार्वजनिक उपक्रमों में समान प्रकार के मुख्य अनुबंधों के संबंध में जानकारी दें
अनुबंध आधार पर मानव संसाधन की आपूर्ति हेतु समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुजप्ति

- IX) सशर्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा इन्हें प्रथम दृष्टया अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- X) बोली प्रपत्र में सभी प्रविष्टियाँ स्पष्ट तथा साफ- साफ भरी जानी चाहिए। यदि सूचना प्रस्तुत करने के लिए स्थान अपर्याप्त है, तो अलग से शीट संलग्न की जा सकती है। वितिय बोली प्रपत्र में ओवरराइटिंग और सुधार की अनुमित नहीं है। ऐसे मामलों में, बोली निरस्त कर दी जाएगी। तथापि तकनीकी बोली आवेदन में यदि कोई सुधार है, तो बोली पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा इस पर आद्यक्षर किए जाने चाहिए। बोली के सभी पृष्ठों पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा एजेंसी की रबर मोहर सहित स्याही से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
- XI) सक्षम प्राधिकारी अर्थात क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, औरंगाबाद 431029 बिना कोई कारण बताए किसी अथवा सभी बोलियों को समाप्त करने का अधिकार स्रक्षित रखते हैं।

बोलीकर्ता कंपनी /फर्म/एजेंसी के लिए तकनीकी आवश्यकताएं।

सेवा प्रदाता कंपनी/फर्म/एजेंसी को निम्नलिखित तकनीकी विशिष्टतांए पूर्ण करनी चाहिए -

- 1. सेवा प्रदाता फर्म/एजेंसी का पंजीकृत कार्यालय अथवा कोई शाखा कार्यालय औरंगाबाद अथवा औरंगाबाद के पास स्थित शहरों में होना चाहिए।
- 2. सेवा प्रदाता फर्म/एजेंसी को समुचित पंजीकरण प्राधिकारी के समक्ष पंजीकृत होना चाहिए ।
- 3. सेवा प्रदाता कंपनी/फर्म /एजेंसी को निजी एंव अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी/फर्म /एजेंसी तथा सरकारी विभागों आदि विशेषतः स्वास्थ्य एंव विकास क्षेत्र में मानव संसाधन उपलब्ध करवाने का न्यूनतम पांच वर्षों का अनुभव होना चाहिए।
- 4. सेवा प्रदाता कंपनी/फर्म /एजेंसी को आयकर, सेवा कर विभागों में तथा सभी प्राधिकृत अधिकारियों/विधियों के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
- 5. सेवा प्रदाता कंपनी/फर्म /एजेंसी का अपना स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए।
- 6. सेवा प्रदाता कंपनी/फर्म /एजेंसी को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियमों के अंतर्गत समुचित प्राधिकारियों के समक्ष पंजीकृत होना चाहिए।
- 7. सेवा प्रदाता कंपनी/फर्म/एजेंसी को यह शपथपत्र देना होगा कि एजेंसी को केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।
- सेवा प्रदाता कंपनी/फर्म /एजेंसी द्वारा उपर्युक्त में से किसी शर्त का अनुपालन न किया जाना उस सेवा के लिए अपात्र माना जाएगा जिसके लिए बोली प्रस्तुत की गई है तथा उनकी बोली पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

III) नियम एंव शर्तें

क सामान्य

- i) इस अनुबंध के 01/04/2018 से प्रारंभ होने की संभावना है तथा यह 31 मार्च 2019 तक जारी रहेगा, बशर्ते कि सेवा में कमी, नियुक्त सहायकों के घटिया स्तर, अनुबंध के उल्लघंन, कार्य की आवश्यकता में कमी अथवा समाप्ति के कारण इस कार्यालय द्वारा इसे घटाया अथवा समाप्त न कर दिया जाए।
- ii) यह अनुबंध प्रारंभ होने के 01 वर्ष बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा बशर्ते कि अनुबंध करने वाली एजेंसी और इस कार्यालय की आपसी सहमति से इसे आगे न बढ़ाया जाए।
- iii) अनुबंध करने वाली कंपनी/फर्म /एजेंसी को इस अनुबंध के अंतर्गत अधिकार एंव देयताओं को इस कार्यालय की पूर्व लिखित अनुमति के बिना अन्य एजेंसी को इसका अंतरण, सौंपना, औपचारिक सहमति अथवा उपअनुबंध करने की अनुमति नहीं है।
- iv) बोली को जमा करते समय अथवा बाद में ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय, औरंगाबाद को उपलब्ध कराए गए विवरण पर बोली बाध्य रहेगी। यदि किसी भी स्तर पर इन दस्तावेजों में से किसी को भी गलत पाया गया तो अनुबंध को रद्द करने के साथ- साथ उसके विरूद्ध कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।
- v) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, औरंगाबाद के पास अनुबंध एजेंसी को एक सप्ताह का नोटिस देकर शुरूआती अविध में अनुबंध समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
- vi) अनुबंध एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय, औरंगाबाद में लगाए गए कर्मचारी बोली दस्तावेज के पृष्ठ संख्या 2 पर निर्धारित आयु एंव भाषा दक्षता की तकनीकी विशिष्टता के अनुरूप हों।
- vii) एजेंसी द्वारा काम पर लगाए गए कर्मचारियों को ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यदिवसो अर्थात सोमवार से शुक्रवार तक 09:30 से 06:00 बजे तक सामान्य रूप से कार्य करना आवश्यक है। जिसके साथ दोपहर 1:00 बजे तक 30 मिनट का भोजनावकाश होगा।
- viii) कंपनी/फर्म /एजेंसी को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व इस विभाग में काम पर लगाए जाने वाले हर आवेदक/उम्मीदवार के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें -
- क. कर्मचारी भ.नि.संगठन, क्षेत्रीय कार्यालयमें नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों की जन्मतिथि वैवाहिक स्थिति, पता आदि जैसे पूर्ण विवरण सहित एजेंसी द्वारा बनाई गई आवेदकों /उम्मीदवारों की सूची
- ख) व्यक्तियों का जीवन- वृत्त
- ग) केन्द्र /राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र
- ix) यदि कंपनी/फर्म /एजेंसी द्वारा काम पर लगाए गए व्यक्ति से कोई भूलचूक हो जाती है जिससे कदाचार /अनुशासनहीनता/अयोग्यता एंव सुरक्षा का जोखिम सामने आता है, तो बोली में सफल कंपनी/फर्म /एजेंसी ऐसे व्यक्तियों को ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय औरंगाबाद के संज्ञान में आने के 02 दिन के भीतर अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ-साथ यदि आवश्यक हो, कार्यस्थल से हटाने के लिए बाध्य होगी।
- x) बोली में सफल कंपनी/एजेंसी, ईपीएफओ, क्षेत्रीय कार्यालय, औरंगाबाद में नियुक्त होने वाले कर्मियों को पहचानपत्र उपलब्ध कराएगी जिसमें उसका फोटो एंव नाम, जन्मतिथि, आयु एंव पहचान का चिन्ह आदि जैसी जानकारी का उल्लेख होगा।
- xi) सेवा प्रदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि संगठन में नियुक्त उसके कर्मचारी द्वारा कार्यालय के किसी विवरण, कार्य प्रक्रिया, तकनीकी जानकारी सुरक्षा व्यवस्था तथा प्रशासनिक /संगठनात्मक मामलों के विषय में किसी भी व्यक्ति के समक्ष उजागर/प्रकट नहीं करेगें।
- xii) सेवा प्रदाता अपने कार्मिक द्वारा कार्यालय परिसर में उचित आचरण असुनिश्चित करेगा तथा मद्यपान पान खाना, धूम्रपान, बेवजह इधर-उधर घूमने आदि पर अंकुश रखेगा।

- xiii) कार्यालय का समय पूर्वान्ह 09:30 बजे से अपरान्ह 06:00 बजे तक है जिसमें 01:00 बजे से 01:30 बजे तक का भोजन अवकाश शामिल है तथा इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए । प्रत्येक कर्मचारी को 05 दिन के कार्यदिवस में 40 घंटे का कार्य करना आवश्यक है।
- xiv) एजेंसी नियुक्त कर्मचारियों में से एक को समन्वयकर्ता के रूप में नियुक्त करेगी जो कि तत्काल संपर्क के लिए जिम्मेदार रहेगा ताकि एजेंसी द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की सेवाओं का बिना किसी रूकावट के उचित सेवाएँ ली जा सके।
- xv) यदि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कारणों से काम छोड़कर चला जाता है तो चुनी गई एजेंसी तत्काल उसकी जगह पर किसी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध कराएगी। एजेंसी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को तीन कार्यदिवसों तक उपलब्ध न कराने की स्थिति में उस देरी के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी पर प्रो-राटा आधार पर भुगतान में कमी के अलावा 200 रू प्रतिदिन (ऐसे प्रत्येक मामले के लिए) की पूर्वनिर्धारित नुकसानी लगेगी।
- xvi) सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा इस कार्यालय में नियुक्त् व्यक्तियों के आने, जाने, खाने, मेडिकल तथा अन्य आवश्यकताओं का वहन किया जाएगा। इस संबंध में इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- xvii) सभी आशय एंव उद्देश्य के लिए, सेवा प्रदाता एजेंसी इस कार्यालय में नियुक्त परिचारकों के संबंध में विभिन्न श्रम विधानों के अर्थ के अंतर्गत 'नियोक्ता' होगी। एजेंसी द्वारा ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय औरंगाबाद में नियुक्त व्यक्तियों का ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय, औरंगाबाद के साथ अथवा विरूद्व ना तो कोई मूल तथ एजेंट संबंध होगा और ना ही वे किसी मालिक तथा सेवक संबंध का दावा कर सकेगें।
- xviii) सेवा प्रदाता एजेंसी उनके द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में शिकायतों के निपटान/विवादों के हल के लिए स्वयं जिम्मेदार होगी। यह कार्यालय ऐसे किसी भी मामले के निपटान के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
- xix) सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा नियुक्त व्यक्ति को कार्य/ड्यूटी करते समय किसी भी प्रकार की नुकसानी घाटे के दावे, वितिय अथवा अन्य किसी चोट के लिए अथवा किसी भी प्रकार की प्रतिपूर्ति के भूगतान के लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
- xx) अनुबंध के समाप्त हो जाने के बाद अथवा कभी भी इस कार्यालय के अस्थायी, तदर्थ, नियमित/ स्थायी कर्मचारियों को उपलब्ध वेतन भत्ते एंव अन्य सुविधाओं के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा नियुक्त कर्मचारी ना तो दावा करेगें, ना ही वे इनके लिए पात्र होगें।
- xxi) अनुबधं की समाप्ति की स्थिति में, अथवा अन्य किसी कारण से सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा नियुक्त व्यक्ति नियमित/अन्य रूप में आमेलन के लिए किसी छूट अथवा किसी आमेलन के लिए पात्र नहीं होगें और दावा नहीं कर सकेगें।
- xxii) तकनीकी बोली की शर्तों का पालन करने वाले बोलीकारों की ही वित्तीय बोली पर विचार किया जाएगा।

ख कपटपूर्ण एंव अष्ट गतिविधियाँ

- i) बोली प्रक्रिया के दौरान आवेदक एंव उनके संबधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट एंव सलाहकार उच्च स्तरीय सुआचरण का परिचय देंगें । यहां उल्लेखित किसी भी बात के विपरीत होते हुए भी ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय आवेदक के प्रति किसी भी प्रकार जवाबदेह न होते हुए आवेदन को रद्द कर सकता है यदि ईपीएफओ , क्षेत्रीय कार्यालय, औरंगाबाद यह निर्धारित करता है कि आवेदक बोली प्रक्रिया के दौरान प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष अथवा किसी एजेंट के माध्यम से भ्रष्ट, कपटपूर्ण, बलप्रयोग, अवांछनीय अथवा प्रतिबंधित गतिविधि में संलग्न है।
- ii) उपयुक्त खंड के अंतर्गत ईपीएफओ, क्षेत्रीय कार्यालय, औरंगाबाद के अधिकारियों पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हुए यदि कोई आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष अथवा किसी एजेंट के माध्यम से किसी भ्रष्ट, कपटपूर्ण बलप्रयोग अवांछनीय अथवा प्रतिबंधित गतिविधि जैसा भी मामला हो, में संलग्न पाया गया तो बोली प्रक्रिया के दौरान ऐसे आवेदक की ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय औरंगाबाद द्वारा आवेदक के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष अथवा किसी एजेंट के माध्यम से किसी भ्रष्ट, कपटपूर्ण,

बलप्रयोग की, वांछनीय अथवा प्रतिबंधित गतिविधि जैसा भी मामला हो, में संलग्न पाए जाने की तिथि से अगले 2 वर्षों तक जारी होने वाली किसी बोली अथवा आर.एफ.क्यू में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी।

- iii) इस खंड 1 के उद्देश्य हेत्, निम्नलिखित शब्दो का अर्थ निम्नरूपेण होगा:
- क. "अष्ट गतिविधि" का अर्थ (I) बोली प्रक्रिया से संबंधित किसी व्यक्ति के कार्य को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्ताव करना /देना प्राप्त करना अथवा (II) बोली प्रक्रिया के दौरान अथवा एलओए जारी किए जाने अथवा अनुबंध किए जाने के बाद जैसा भी मामला है अष्ट आचरण को बचाने और अनुमित के रूप में छोड़कर जैसे भी संलिग्नित किया गया हो से संबंधित कोई भी व्यक्ति किसी भी मामले में जो परियोजना के संसर्ग में किसी प्रकार से संबंधित हो या एलओए या अनुबंध से संबंधित हो या किसी भी समय प्राधिकारी के कानूनी, वितिय अथवा तकनीकी सलाहकार रहे हो।
- ख. "कपटपूर्ण गतिविधि" का अर्थ बोली प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना अथवा छोड़ देना अथवा तथ्यों को छुपाना अथवा अपूर्ण तथ्यो को बताना है।
- ग. "बलप्रयोग गतिविधि" का अर्थ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बोली प्रक्रिया में भाग लेने वाले किसी व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए किसी व्यक्ति को नुकसान पंह्चाना अथवा धमकी देना है।
- घ. "अवांछनीय गतिविधि" का अर्थ है (1) प्राधिकारी से संबंधित अथवा उसे द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से अपने पक्ष में प्रचार करना तथा लॉबिंग करना अथवा किसी भी तरह से प्रभावित करना अथवा प्रभावित करने का प्रयास करने के उद्देश्य से उनसे संपर्क बनाना: अथवा (11) मत विरोध :तथा
- ड "प्रतिबंधित गतिविधि" का अर्थ गुट बनाना अथवा बोली प्रक्रिया में पूर्ण एंव निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में रूकावट डालने अथवा जोड़-तोड़ के उद्देश्य से आवेदको के मध्य किसी सहमति अथवा व्यवस्था तक पहुंचाना है।

।।। नियम एंव शर्ते

ग. विधि

- ं सेवा प्रदाता इस कार्यालय में नियुक्त सभी कर्मचारियों के संबंध में न्यूनतम वेतन, भविष्य वेतन, भविष्य निधि एंव कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदि से संबंधित सभी सांविधिक उपबंधो तथा औरंगाबाद में लागू अन्य श्रम कानूनों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा।
- ii सेवा प्रदाता द्वारा ईपीएफओ, क्षेत्रीय कार्यालय, औरंगाबाद में दी गई सेवा हेतु इस मामले में समय- समय पर लागू नियम एवं शर्तों के अनुसार कर संग्रह प्राधिकरण को सभी करों, लेवी, उपकर आदि का भ्गतान किया जाएगा।
- iii सेवा प्रदाता, लागू कानून के अंतर्गत सभी सांविधिक रजिस्टरो का रखरखाव करेगा। इस कार्यालय के संबंधित प्राधिकारी अथवा कानून के अंतर्गत अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर एजेंसी इसे उपलब्ध कराएगी।
- iv) स्त्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस. समय-समय पर संशोधित आयकर विभाग के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी तथा इससे संबंधित प्रमाणपत्र इस कार्यालय द्वारा एजेंसी को उपलब्ध कराय जाएगा।
- v) यदि चुनी गई एजेंसी समुचित कानून के अंतर्गत किसी सांविधिक /कर देयता का अनुपालन करने में नाकाम होती है तथा इसके परिणामस्वरूप संगठन को किसी तरह का आर्थिक अथवा किसी अन्य प्रकार का घाटा, बाध्यता होती है, तो ईपीएफओ, क्षेत्रीय कार्यालय, औरंगाबाद एजेंसी के निष्पादन सुरक्षा जमा अथवा बाकी बिलो से घाटा अथवा बाध्यता की मैट्रिक सीमा तक वसूली करने के लिए सक्षम होगा।

घ . वितिय

- i) तकनीकी बोली के साथ प्रतिदेय बयाना राशि (ईएमडी) रूपए 50,000/- (रू पचास हजार केवल) जो डिमांड ड्राफ्ट /पे आर्डर के रूप में है जो क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पक्ष में देय हो, संलग्न करें। ऐसा न करने पर बोली को पूर्णतया अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- ii) बोली जिसमें संबंधित श्रेणी के लिए न्यूनतम वेतन (औरंगाबाद में लागू) से कम दर प्रस्तावित होगी को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- iii) इस अनुबंध की किसी शर्त को तोइने पर एजेंसी की निष्पादन सुरक्षा जमा राशि अनुबंध के रद्द करने के साथ साथ जब्त कर ली जाएगी।
- iv) एजेंसी उपस्थिति विवरण के साथ तीन प्रतियों में बिल प्रस्तुत करेगी तथा जहां तक संभव होगा भुगतान अगले माह के दूसरे सप्ताह में कर दिया जाएगा।
- v) कर्मचारी राज्य बीमा, भविष्य निधि एवं सेवा कर आदि के दावे अनिवार्य रूप से दस्तावेजों सबूतों के साथ संबंधित माह के बिल के साथ दिए जाए। बिल राशि का कुछ अंश/बिल की कुल राशि सबूत प्रस्तुत किए जाने तक इस संगठन के विवेकानुसार रोक ली जाएगी।
- vi) विवादों का निपटान इंडियन आर्बिटरेशन एंड कॉसिलिएशन एक्ट-1996 के अनुसार होगा तथा स्थान ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय, औरंगाबाद रहेगा।
- vii) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क्षेत्रीय कार्यालय, औरंगाबाद) के पास उपर लिखित किसी भी शर्त को हटाने/ढील देने का अधिकार सुरक्षित होगा ताकि संविदा कर रहे पक्षों के कारण आने वाली समस्याओं का निवारण हो सके।

सहायक भविष्य निधि आयुक्त (मासप्र)

क्षेत्रीय कार्यालय, औरंगाबाद

घोषणा पत्र

ਸੱ	पुत्र/पुत्री/पत्नि
	उपर्युक्त
एजेंसी /फर्म के प्रोपराइटर/निदेशक , प्राधिकृत हस्ताक्षर	कर्ता इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने तथा इस बोली दस्तावेज को
निष्पादित करने कि लिए सक्षम है।	

- 2. बोली के सभी निबंधन एंव शर्तों को मैंने ध्यान से पढ़ा और समझ लिया है तथा इनका पालन करने का वचन देता/देती हूँ।
- 3. उपर्युक्त आवेदन के साथ प्रस्तुत सूचना/दस्तावेज मेरी जानकारी एंव विश्वास के अनुसार सत्य एंव प्रामाणिक है। मैं/हम इस तथ्य से अच्छी तरह से अवगत हूँ/है कि गलत सूचना /नकल दस्तावेज प्रस्तुत करने से किसी भी स्तर पर मेरी/हमारी बोली न केवल अस्वीकृत हो सकती है बल्कि इसके साथ समुचित कानून के अंतर्गत मुकदमा भी चलाया जा सकता है।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर पूरा नाम

मोहर

तिथि

स्थान

डाटा एन्ट्री आपरेटर प्रदाय किए जाने हेतु बोली प्रपत्र

दस्तोवजो की सूची/चेकलिस्ट

क्र	दस्तावेज	संलग्न होने पर सही करें	पृष्ठ क्रमांक
1.	प्रतिभूति राशि रू50,000/- का डीडी		
2.	कभनि पंजीकरण संख्या		
3.	कराबीनि पंजीकरण संख्या		
4.	दुकान अधिनियम पंजीकरण प्रमाणपत्र क्र		
5.	श्रम लाईसेंस प्रमाणपत्र क्र.		
6.	पैन क्र.		
7.	सेवा कर पंजीकरण संख्या		
8.	व्यवसायिक कर पंजीकरण सं		
9.	पांच वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र (कार्य आदेश संलग्नित करें)		
10.	पिछले 06 माह का कभनि ईसीआर की प्रति		
11.	पिछले 06 माह का कराबीनी चालान की प्रति		
12.	किसी भी शासकीय/अन्य किसी संस्थान से काली सूची में नहीं रखे जाने संबंधी शपथ पत्र/अंडरटेकिंग		
13.	और कोई अन्य दस्तावेज		

दिनांक स्थान (बोलीकार के हस्ताक्षर) नाम एंव मुहर के साथ पता

डाटा एन्ट्री आपरेटर प्रदाय किए जाने हेतु बोली प्रपत्र तकनीकी बोली

1.	बोलीकर्ता कंपनी/फर्म/एजेंसी का नाम	
	(पंजीकरण का प्रमाणपत्र संलग्न करें)	
2.	कंपनी/फर्म/एजेंसी के मालिक /निदेशक का नाम	
3.	पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता टेलीफोन नंबर/फैक्स ईमेल सहित	
4.	भागीदारों का नाम (यदि कोई हो)	
5.	कार्यरत/ब्रांच कार्यालय का नाम टेलीफोन नंबर	
6.	फैक्स	
7.	स्थापना का वर्ष	
8.	बैंक विवरण	
9.	क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा कार्यालय यदि हो, का विवरण	
10.	बोलीकार द्वारा पिछले 05 वर्षों में पूर्ण किए गए कार्यों का	
	विवरण (कार्यादेश संलग्न किया जाय)	
11.	पिछले 06 माह ईपीएफओ का ईसीआर की प्रति	
12.	पिछले 06 माह क.रा.बी.नि. का ईसीआर की प्रति	
13.	शपथ पत्र यह बताते हुए कि एजेंसी को केन्द्र/राज्य सरकार	
	/द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है। (प्रतिलिपि संलग्न करें)	
14.	श्रम लाईसेंस पंजीकरण संख्या (सत्यापित प्रति)	
15.	दुकान पंजीकरण संख्या (सत्यापित प्रति)	
16.	ईपीएफओ पंजीकरण संख्या (सत्यापित प्रति)	
17.	क.रा.बी.नि. पंजीकरण संख्या (सत्यापित प्रति)	
18.	सेवा कर पंजीकरण संख्या (सत्यापित प्रति)	
19.	पैन/जी आई.आर संख्या (सत्यापित प्रति)	
20.	प्रतिभूति राशि राशि डीडी क्रमांक जारी दिनांक जारी करने वाला बैंक	

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर नाम

मोहर दिनांक

डाटा एन्ट्री आपरेटर प्रदाय किए जाने हेतु बोली प्रपत्र

वितिय बोली

क्र.स.	मजदूरी	प्रत्येक डी.ई.ओ.के लिए
		प्रति व्यक्ति /प्रति माह राशि
1.	मासिक मजदूरी (महराष्ट्र राज्य में लागू न्यूनतम वेतन	
	अधिनियम के अनुसार)	
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान जैसा लागू हो	
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान जैसा लागू हो	
4.	कोई अन्य देयता/प्रभार (कृपया अंकित करें)	
5.	एजेन्सी सेवा प्रभार (प्रतिशत एंव रूपए में)	
6.	सेवा प्रभार जैसा कि लागू हो	
7.	कुल योग	

(बोलीकर्ता के हस्ताक्षर) पूरा नाम एंव पता मुहर के साथ

तिथि

स्थान

ईमेल/E-Mail: sro.aurangabad@epfindia.gov.in फैक्स /Fax : 0240-2483199 दूरभाष/Ph : 0240-2476971

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVT. OF INDIA)

क्षेत्रीय कार्यालय/ Regional Office

प्लाट क्र 02 भविष्य निधि भवन, टाउन सेंटर, व्यावसायिक क्षेत्र, सिडको, औरंगाबाद - 431029

Plot No. 2, Bhavishya Nidhi Bhavan, Town Centre, Commercial Area, CIDCO, Aurangabad - 431 029

No. MH/PF/CT/HRM/2018/ 283

Date:-08/03/2018

INVITATION OF BIDS FOR SUPPLY OF DATA ENTRY OPERATOR

Sealed Bids are invited under Two Bid System i.e. Technical Bid and Financial Bid from reputed, experienced and financially sound Manpower Companies/Firms/Agencies for providing 03 Data Entry Operators in EPFO, RO, Aurangabad for a period of one year from the date of finalization of contract.

3. Schedule:-

(i). Date of upload of tender

(iv). Place of opening the Bids

: 09th Mar 2018

(ii). Last date & time for submission of Bids

: 3:00 pm, 23th Mar 2018

(iii). Date & time for opening of Technical & Financial Bid

: 4:00 pm, 26th Mar 2018 : EPFO, RO, Aurangabad

3. Bid documents should be downloaded from the EPFO website www.epfindia.gov.in,

4. Interested and eligible Companies/Firms/Agencies may submit their Bids and other requisite documents complete in all respect along-with Earnest Money Deposit (EMD) of Rs.50000/- (Rs. Fifty Thousand only) by DD/Pay Order drawn in favour of The Regional P.F. Commissioner-I. Bhavishya Nidhi Bhavan, Plot No.2 Town Centre, Cidco, Aurangabad-431029 latest by 3.00 p.m. of 23/03/2018 to the Inward Section of Regional Office, Bhavishya Nidhi Bhavan, Plot No.2 Town Centre, Cidco, Aurangabad-431029. The Bid Document Submitted without Earnest Money Deposit in the form of Demand Draft/Pay Order at the time of submission will not be considered. The Bids shall not be entertained after this deadline under any circumstances whatsoever.

5. This Office reserves the right to amend/ withdraw any of the terms and conditions in the Bid Document or to reject any or all bids without giving any notice or assigning any reason. The decision of the Regional P.F. Commissioner, RO, Aurangabad in this regard shall be final and binding.

(SURAJ D PATIL)

ASSISTANT P.F. COMMISSIONER REGIONAL OFFICE AURANGABAD

I. Scope of work and General instruction for Tenders

- I. The Employees Provident Fund Organisation Regional Office, Bhavishya Nidhi Bhavan, Plot No.2 Town Centre, Cidco, Aurangabad-431029 requires the services of a reputed, well established and financially sound Manpower Company/ Firm/Agency for providing manpower to perform the jobs assigned to Data Entry Operators.
- II. The Contract is likely to commence from 01/04/2018 and would continue up to 31st March, 2019. The period of the contract may be further extended on the same terms and conditions after the completion of the contract period provided that the requirement of the Department for augmenting its manpower persists at that time. The contract may be curtailed/terminated before the contract period owing to deficiency in service or induction of regular manpower in this office. The Office, however, reserves the right to terminate this initial contract at any time after giving one week notice to the selected service providing Company/Firm/Agency without assigning any reason.

III. Essential Qualification for Data Entry Operators:

- a) Age: Should be between 18 years and 35 years.
- b) Minimum Educational Qualification for Data Entry Operator should be higher secondary education (10+2) with proficiency in Computer work & working knowledge of English and Hindi.
- c) Should possess a typing speed of not less than 8000 English or 5000 Hindi key Depressions per hour.
 - d) Knowledge of Data Entry in MS. Excel/MS. Office, MS. Power Point.
- IV. The nature of service shall include carrying out all the functions generally performed by Data Entry Operators and such other duties as may be assigned to him/her. A glimpse of nature of works given is only indicative and not exhaustive.
- V. The interested Company/Firm/Agency may submit the bid and other requisite documents complete in all respects, along with Earned Money Deposit (EMD) of Rs.50000/- (Rupees Fifty Thousand Only) by DD/Pay Order drawn in favour of Regional P.F. Commisioner-I by 3.00 p.m. of 23/03/2018 to the Inward Section Regional Office, Bhavishya Nidhi Bhavan, Plot No.2 Town Centre, CIDCO, Aurangabad-4310029.
- VI. The Bids have been invited under Two Bid systems i.e. Technical Bid and Financial Bid. The interested Agencies are advised to submit two separate sealed envelopes super-scribing "Technical Bid for providing manpower to perform jobs assigned to Data Entry Operators to EPFO RO, Aurangabad" and "Financial Bid for providing manpower to perform jobs assigned to Data Entry Operators to EPFO, RO, Aurangabad". Both sealed envelopes should be kept in a third sealed envelope super-scribing "Tender for providing manpower to perform jobs assigned to Data Entry Operators to Employees Provident Fund Organisation, Regional Office, Bhavishya Nidhi Bhavan, Plot No.2 Town Centre, CIDCO, Aurangabad-4310029."
- VII. The Earnest Money Deposit (EMD) of Rs.50000/- (Rupees Fifty Thousand only), refundable (Without Interest), should be necessarily accompanied with the Technical Bid of the Agency in the form of Demand Draft/Pay Order from any of the Commercial Bank drawn in favour of Regional P.F. Commissioner-I, EPFO, Aurangabad valid for a period of 90 days from issue of tender. Offer not accompanied by earnest money of the requisite amount with proper validity will be summarily rejected.
- VIII. The Bidding Company/Firm/Agency is required to enclose photocopies of the following documents, duly attested by Gazetted Officers, also self attested along with the Technical Bid, failing which their Bid shall be summarily/out rightly rejected and will not be considered any further.

PAN/TAN/GIR No.	(Attach attested copy)
Service Tax Registration No.	(Attach attested copy)
EPF Registration No.	(Attach attested copy)
ESI Registration No.	(Attach attested copy)
Give details of the major si Company/Firm/Agency on be	imilar contracts handled by the Tendering chalf of PSUs.
Licenses from appropriate contractual basis.	authority for supply of manpower on

- IX. Conditional bids shall not be considered and will be out rightly rejected at the very first instance.
- X. All entries in the Tender Form should be legible and filled clearly. If the space for furnishing information is insufficient, a separate sheet may be attached. No overwriting or corrections is permitted in the Financial Bid Form. In such cases, the bids shall be summarily rejected. However, the correction, if any, in the Technical Bid Form must be initialed by the person authorized to sign the Bid Form. All the pages of the Bid shall be duly signed by the authorized signatory in ink with rubber stamp of the agency.
- XI. The competent authority i.e. Regional P.F. Commissioner-I, EPFO, Regional Office, Aurangabad-431029 reserves the right to terminate any or all Bid/s without assigning any reason thereof.

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE BIDDING COMPANY/FIRM/AGENCY.

The Service Provider Company/Firm/Agency should fulfill the following technical specifications.

- 1. The registered Office or one of the Branch Offices of the service Provider Firm/Agency should be located either in Aurangabad or in any of the satellite Towns of Aurangabad.
- 2. The services provider Company/Firm/Agency should be registered with the appropriate registration authority.
- 3. Service Provider Company/Firm/Agency should have at least Five Years experience in providing manpower to private and/ or public sector Company/Banks and Government Departments etc. preferably in the health and/or development sector.
- 4. Service Provider Company/Firm/Agency should be registered with Income Tax and Service Tax departments and with all applicable authorities/statutes.
 - 5. Service Provider Company/Firm/Agency should have its own Bank Account.
- 6. Service provider Company/Firm/Agency should be registered with appropriate authorities under Employees Provident Fund Organization and Employees State Insurance Acts.
- 7. The service provider Company/Firm/Agency shall submit affidavit stating that the agency is not been black listed by Central/State Government/PSU.

Non compliance of any of the above conditions by the Service Provider/Firm/Agency will amount to non-eligibility for the service for which Bids have been floated and their Tender will be rejected summarily.

II. TERMS AND CONDITIONS

A. General

1) The contract is likely to commence from 01/04/2018 and shall continue up to 31st

March, 2019, unless it is curtailed or terminated by this Office owing to deficiency in service, substandard quality of Attendants deployed, breach of contract, reduction or cessation of the requirements of work.

- 2) The contract shall automatically expire after one year from commencement of the contract unless extended further by mutual consent of contracting Agency and this Office.
- 3) The contracting Company/Firm/Agency shall not be allowed to transfer, assign pledge or sub-contract its rights and liabilities under this contract to any other agency without the prior written consent of this Office.
- 4) The bidder will be bound by the details furnished by him/her to us/ EPFO, Aurangabad, while submitting the bid or at any subsequent stage. In case, any of such documents' furnished by him/her is found to be false at any stage, it would result in initiation of legal action besides termination of contract.
- 5) The Employees Provident Fund Organisation, Aurangabad reserves right to terminate the contract during initial period also after giving a weeks' notice to the contracting Agency.
- 6) The contracting Agency shall ensure that the manpower deployed in the EPFO, Aurangabad confirm to the technical specification of age and languages skills prescribed at page No.2 of the Bid Document.
- 7). The manpower employed by the Agency shall be required to work normally as per the EPFO, RO, Aurangabad working days, i.e. from Monday to Friday from 9.30 a.m. to 6.00 p.m. with lunch break of 30 minutes from 1.00 p.m.
- 8) The contracting Company Firm/Agency shall furnish the following documents in respect of the individual Applicant/Candidate who will be deployed by it EPFO, Aurangabad before the Commencement of work.
 - A) List of Applicant /Candidate short listed by Agency for deployment in EPFO, RO, Aurangabad.
 - B) Bio-data of persons shortlisted for deployment in this office.
 - C) Character certificate from a Gazetted officer of the Central/State Government.
- 9) In case a person employed by the successful Company/Firm/Agency commits any act of omission/commission that amount to misconduct/indiscipline/incompetence and security risks, the successful Company/Firm/Agency will be liable to take appropriate disciplinary action against such persons including their removal from site of work, if required by the EPFO (Regional Office, Aurangabad) within 2 days of it being brought to their notice.
- 10) The successful agency shall provide identity cards to the personnel deployed in the EPFO (RO, Aurangabad) carrying the photograph of the personnel and personal information like name, DOB, age and identification mark etc.
- 11) The service provider shall ensure that any details of Office operational process, technical Know-how, security arrangements and administrative organizational matters are not divulged or disclosed to any person by its personnel deployed in the Organization.
- 12). The service provider shall ensure proper conduct of his/her personnel in office premises, and enforce prohibition of consumption of alcoholic drinks, paan, smoking, loitering without work etc.

- 13) The office timings are from 9.30 a.m. to 6.00 p.m. with 30 minutes of lunch break from 1.00 p.m. to 1.30 p.m. and these are to be scrupulously observed. Each official has to put in 40 Hrs. of work time of the 5 days week.
- 14) The Agency shall depute a coordinator, out of the deployed personnel, who would be responsible for immediate interaction with the office so that optimal services of the persons deployed by the agency could be availed without any disruption.
- 15) The selected Agency shall immediately provide a substitute in the event of any person leaving the job due to personal reasons. The delay by the Agency in providing a substitute beyond three working days shall attract liquidated damages @ Rs.200 per day (per such case) on the service providing Agency besides deduction in payment on Pro-rata basis.
- 16) It will be the responsibility of the service providing Agency to meet transportation, food, medical and any other requirements in respect of the persons deployed by it (Agency) and this Office will have no liabilities in this regard.
- 17) For all intents and purposes, the service providing Agency shall be the "Employer" within the meaning of different Labour Legislations in respect of Attendants so employed and deployed in this office. The persons deployed by the Agency in the EPFO (Regional Office, Aurangabad) shall not have claims of any Master and Servant relationship nor have any principal and agent relationship with or against EPFO (Regional Office, Aurangabad).
- 18) The service providing Agency shall be solely responsible for the redress of grievance/resolution of disputes relating to persons deployed. This Office shall, in no way, be responsible for settlement of such issues whatsoever.
- 19) This office shall not be responsible for any damages, losses claims, financial or other injury to any person deployed by service providing agency in the course of their performing the functions/duties, or for payment towards any compensation.
- 20) The person deployed by the service providing Agency shall not claim or shall be entitled to pay, perk and other facilities admissible to casual, adhoc, regular confirmed employees of this office during the currency or after expiry of the contacts.
- 21) In case of termination of this contract on its expiry or otherwise, the persons deployed by the service providing Agency shall not be entitled to and will have no claim, for any absorption nor any relaxation for absorption in the regular/otherwise capacity.
 - 22) Financial bids would be opened only if the technical bid conditions are satisfied.

B. FRAUD AND CORRUPT PRACTICES

- 1) The applicant and their respective officers, agents and advisers shall observe the highest standard of ethics during the Bidding Process. Notwithstanding anything to the contrary contained herein, the EPFO (RO, Aurangabad) may reject an Application without being liable in any manner whatsoever to the Applicant whom it considers has directly or indirectly or through an agent, engaged in corrupt practice, fraudulent practice, coercive practice, undesirable practice or restrictive practice in the Bidding Process.
- 2) Without prejudice to the right of the EPFO (RO, Aurangabad) under Clause i.e. herein above, if an Applicant is found to have directly or indirectly or through an agent, engaged or indulged in any corrupt practice, fraudulent practice, coercive practice, undesirable practice or restrictive practice, during the Bidding Process, such Applicant shall not be eligible to participate in any bidding or RFQ issued by this office during a period of 2(two) years from the date such Applicant is found by the EPFO (RO, Aurangabad) to have directly or through an agent engaged or

indulged in any corrupt practice, fraudulent practice, coercive practice, undesirable practice or restrictive practice as the case may be.

- 3) For the purposes of this clause 1, the following terms shall have the meaning hereinafter respectively assigned to them
- a) "Corrupt practice" means (i) the offering, giving, receiving or soliciting, directly or indirectly of anything of value to influence the actions of any person connected with the Bidding Process or (ii) save and except as permitted, engaging in any manner whatsoever, whether during the Bidding Process or after the issue of the LOA or after execution of the Agreement, as the case may be, any person in respect of any matter relating to the Project or the LOA or the Agreement, who at any time has been or is a legal, financial or technical advisor of the Authority in relation to any concerning the project.
- b) "Fraudulent practice" means a misrepresentation or omission of facts or suppression of facts or disclosure of incomplete facts, in order to influence the Bidding Process;
- c) "Coercive practice" means impairing or harming or threatening to impair or harm directly or indirectly, any person or property to influence any person's participation or action in the Bidding Process;
- d) "Undesirable Practice" means (i) establishing contact with any person connected with or employed or engaged by the Authority with the objective of canvassing, lobbying or in any manner influencing or attempting to influence the Bidding Process or (ii) having a conflict of interest and
- e) "Restrictive Practice" means forming a cartel arriving at any understanding or arrangement among Applicants with the objective of restricting or manipulating a full and fair competition in the Bidding Process.

C. LEGAL

- 1) The service provider shall be responsible for compliance of all statutory provisions relating to Minimum Wages, Provident Fund and Employees States Insurance etc. in respect of the persons deployed by it in this office and any other labour laws applicable in Aurangabad.
- 2) The service provider shall also be liable for depositing all taxes, levies, cess etc. on account of service rendered by it to EPFO (RO, Aurangabad) to concerned tax collection authorities from time to time as per extant rule and regulation in the matter.
- 3) The service provider shall maintain all statutory register under the applicable Laws. The Agency shall produce the same, on demand to the concerned authority of this office or any other authority under Law.
- 4) The Tax Deduction at source (TDS) shall be deducted as per the provisions of Income Tax Department, as amended from time to time and a certificate to this effect shall be provided to the Agency by this Office.
- 5) In case, the selected Agency fails to comply with any statutory/taxation liability under appropriate law and as a result thereof the organization is put to any loss, obligation, monetary or otherwise, the EPFO (RO, Aurangabad) will be entitled to get itself reimbursed out of the outstanding bills or the Earnest Money Deposit of the Agency to the extent of the loss or obligation in monetary terms.

D. FINANCIAL

- 1) The Technical Bid should be accompanied with refundable Earnest Money Deposit (EMD), of Rs. 50000/- (Rupees Fifty Thousand only) in the form of Demand Draft/Pay Order drawn in favour of The Regional P.F. Commissioner-I, failing which the bid shall be rejected out-rightly.
- 2) Bids offering rates which are lower than the minimum wages (as applicable for Aurangabad) for the pertinent category would be rejected.
- 3) In case of breach of any terms and conditions attached to this contract, the performance security Deposit of the Agency will be liable to be forfeited by this organization besides annulment of the contract.
- 4) The Agency shall raise the bill, in triplicate along with attendance sheet and payment and as far as possible the same will be released by the second week of the succeeding month.
- 5) The claims in bill regarding Employees State Insurance, Provident Fund, and Service Tax etc. should be necessarily accompanied with documentary proof pertaining to the concerned month's bill. A requisite, portion of the bill/whole of the bill amount shall be held up till proof ID of the same is furnished.
- 6) Settlement of disputes will be as per Indian Arbitration and Conciliation Act-1996 and Venue will be the EPFO (RO, Aurangabad).
- 7) The Employees Provident Fund Organisation (RO, Aurangabad) reserves the right to withdraw/relax any of the terms and conditions mentioned above so as to overcome the problem encountered by the contracting parties.

ASSISTANT P.F. COMMISSIONER

REGIONAL OFFICE AURANGABAD

DECLARATION

1.	Son/Daughter of Shri.
	Proprietor/Director,
authorized signatory of the Agency execute this tender/document.	/Firm, mentioned above, is competent to sign this declaration and
2. I have carefully read and under abide to them.	stood all the terms and condition of the tender and undertake to
the best of my knowledge and belie	mished along with the above application are true and authentic to ef. I/we, am/are well aware of the fact that furnishing of any false would lead to rejection of may tender at any stage besides er appropriate law.
Place:-	
Date:-	
	Signature of Bidder/Competent Authority
	Of Company/Agency/ Official Stamp & Seal

TENDER FORM FOR PROVIDING DATA ENTRY OPERATOR

LIST OF DOCUMENTS/ CHECK LIST

Sr. No.	Name of Documents	Copy Enclosed/Please Tick	Page No.
1	EMD Rs.50000/- DD		
2	EPF Registration No.		
3	ESIC Registration No.		
4	Shop Act Registration Certificate No.		
5	Labour License Certificate No.		
6	PAN No.		
7	Service Tax Registration No.		
8	Profession Tax Registration No.		
9	5 years Experience in providing Manpower Services (Work orders enclosed)		
10	Last 6 months EPF ECR copy		
11	Last 6 months ESIC Challans copy		
12	Affidavit/Undertaking regarding not blacklisted by any organization/Govt. Department		
13	If any other documents		

D	_	4-		
v	d	æ	ĭ	-

(Signature of the Bidder) Name and address with Seal

Place:-

ईमेल/E-Mail: sro.aurangabad@epfindia.gov.in फैक्स /Fax : 0240-2483199 दूरभाष/Ph : 0240-2476971

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार)



क्षेत्रीय कार्यालय/ Regional Office

प्लाट क्र 02 भविष्य निधि भवन, टाउन सेंटर, व्यावसायिक क्षेत्र, सिडको, औरंगाबाद - 431029

Plot No. 2, Bhavishya Nidhi Bhavan, Town Centre, Commercial Area, CIDCO, Aurangabad – 431 029

TENDER FORM FOR PROVIDING DATA ENTRY OPERATOR

ANNEXURE-A

TECHNICAL BID

1	Name of the Bidder	
2	Name of the Company/Agency	
4	Traine of the Company/Agency	
3	Address of the Company/Agency	
5	Address of the Company/Agency	
4	Name of the Partners (If any)	
•	rame of the lateners (Il any)	
5	Telephone Numbers	
6	Fax No.	
7	Year of Establishment	
8	Bankers	
9	Information about Regional	
	Offices/Branches (if any)	
10	Work completed by the Bidder during	
	Last 5 years (work orders enclosed)	
11	Last 6 months EPF ECR copy	
12	Last 6 months ESIC Challans copy	
13	Affidavit/Undertaking regarding not	
	blacklisted by any organization/Govt.	
	Department	
14	Labour License Number	
15	Shop Act Registration Number	
16	EPF Registration Number	
17	ESIC Registration Number	
18	Service Tax Registration Number	
19	PAN/TAN from Income Tax Office	
20	Earnest Money Deposit	
	a) Amount	
	b) DD No.	
	c) Date of issuing	
	d) Name of issuing Bank	

Technical Bid and Financial Bid will be submitted in separate envelope. Financial Bid of only those renderers will be evaluated who qualify in Technical Bid.

This is to certify that I/We before signing this tender have read and fully understood all the terms and conditions contained herein and undertake myself/ourselves abide by them.

Date: -

(Signature of the Bidder)
Name and address with Seal

Place:-

٦


ईमेल/E-Mail: sro.aurangabad@epfindia.gov.in फैक्स /Fax : 0240-2483199 दूरभाष/Ph : 0240-2476971

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन



(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVT. OF INDIA) क्षेत्रीय कार्यालय/ Regional Office



TENDER FORM FOR PROVIDING DATA ENTRY OPERATOR

ANNEXURE-B

FINANCIAL BID

Sr. No.	WAGES	DATA ENTRY OPERATOR (In Rs.) Per person/Per month
01	Monthly wages (As per Minimum Wages Act, applicable in Maharashtra Govt.	
02	Employees Provident Fund Contribution as applicable	
03	Employees State Insurance Contribution as applicable	
04	Any other charges / liability (Please indicate)	
05	Agency Service Charges (in % and in Rs.)	
06	Service Tax as applicable	
07	Grand Total	

Date: -

(Signature of the Bidder)
Name and address with Seal

Place:-